



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



19 वैशाख, 1946 (श०)

संख्या - 255 राँची, गुरुवार,

9 मई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

20 फरवरी, 2024

संख्या-5/आरोप-1-44/2017-21125 (HRMS)--श्री रविन्द्र कुमार, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-गिरिडीह), तत्कालीन अंचल अधिकारी, माण्डू, रामगढ़ के विरुद्ध उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक-76/स्था0, दिनांक 07.02.2017 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

आरोप- माननीय सूचना आयुक्त, झारखण्ड में दायर अपील वाद संख्या- 1159/16 गोपाल यादव बनाम जन सूचना पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, माण्डू (रामगढ़) में दिनांक 28.09.2016 को पारित आदेश में आरोप है कि श्री रविन्द्र कुमार (झा०प्र०से०), जन सूचना पदाधिकारी-सह-अधिसूचित अंचल अधिकारी, माण्डू (रामगढ़) के द्वारा अपीलार्थी को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत माँगी गई सूचना को अब तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है और न ही राज्य सूचना आयोग में उपस्थित होते हैं और न ही अपना पक्ष भेजते हैं और न ही अपीलकर्ता के अधिकारों और हितों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हैं और न ही आयोग के आदेशों का सम्मान करते हैं ।

आयोग के नोटिस पत्रांक-12893, दिनांक 09.06.2016 को निर्गत किये जाने के बाद 20.07.2016 की सुनवाई और 31.08.2016 की सुनवाई में श्री रविन्द्र कुमार (झा०प्र०से०), जन सूचना पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, माण्डू (रामगढ़) के द्वारा न सूचना आयोग में उपस्थित हुए और न ही अपना प्रतिनिधि और न ही अपना पक्ष भेजा गया। आयोग द्वारा आर०टी०आई० एक्ट की धारा-20(2) के तहत विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-6287, दिनांक 17.05.2017 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गई है। उनसे स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने पर पत्रांक-5618, दिनांक 27.07.2018 एवं पाँच स्मार पत्रों द्वारा स्मारित किया गया, फिर भी उनका स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा।

मामले के समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप को प्रमाणित मानते हुए सेवा सम्पुष्टि की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक-1691, दिनांक 21.03.2023 एवं स्मार पत्रांक-2975, दिनांक 23.05.2023 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी है, परन्तु इनका द्वितीय कारण पृच्छा अप्राप्त है। पुनः विभागीय पत्रांक-3669, दिनांक 27.06.2023 श्री कुमार के गृह पता पर भेज कर द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया, परन्तु उनका जवाब अप्राप्त है।

मामले की समीक्षा क्रम में पाया गया कि श्री कुमार को अपना पक्ष रखने में कोई रुचि नहीं है तथा संबंधित आरोप के संबंधों में इनको कुछ नहीं कहना है, क्योंकि श्री कुमार को अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया है, फिर भी इनका उत्तर अप्राप्त है एवं संबंधित मामला विगत 06 वर्षों से लंबित है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री रविन्द्र कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, माण्डू, रामगढ़ के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप को प्रमाणित मानते हुए सेवा सम्पुष्टि की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री रविन्द्र कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAVINDRA KUMAR 111001165679	श्री रविन्द्र कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, माण्डू, रामगढ़ के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप को प्रमाणित मानते हुए सेवा सम्पुष्टि की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्दु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
